<u>न्यायालय अतिरिक्त सम्भागीय आयुक्त, अजमेर</u>

(निर्णय बईजलास गजेन्द्र सिंह राठौड, आर0ए0एस0 अतिरिक्त संभागीय आयुक्त,अजमेर)

अपील एल0आर0 एक्ट संख्या :-347/2020/जिला टोंक

घासी पुत्र श्री छोटू, जाति गुर्जर, निवासी गोलाहेडा, तहसील टोडारायसिंह, जिला टोंक।

--अपीलांट

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार महोदय, टोडारायसिंह, जिला टोंक।

——रेस्पोडेन्ट

अपील अन्तर्गत धारा 76 राजस्थान भू—राजस्व अधिनियम 1956 विरूद्ध निर्णय विद्वान अतिरिक्त जिला कलक्टर महोदय, टोंक दिनांक 29.10.2020 जो प्रकरण संख्या 7/2020 बउनवानी घासी बनाम तहसीलदार टोडारायसिंह में पारित किया गया।

उपस्थित अभि0:—श्री गिरीश शर्मा (वकील अपी0)

श्री आकाश पारीक(राजकीय अभि0)

<u>निर्णय</u> दिनांकः—30.09.2022

संक्षिप्त में अपील के तथ्य इस प्रकार है कि अपीलांट घासी पुत्र छोटू गुर्जर के विरूद्ध तहसीलदार टोडारायसिंह द्वारा धारा 91(3) एल0आर0एक्ट ने कार्यवाही करते हुए निर्णय दिनांक 12.03.2020 से उसे खसरा नम्बर 307 रकबा 2.02 हे0 में से 1.01 हे0 चरागाह भूमि से ग्राम गोलाहेड़ा से पश्चातवृति अतिक्रमी मानते हुए भूमि से बेदखल करने , शास्ति कायम करने एवं एक माह के सिविल कारावास की सजा से दण्डित किया। तहसीलदार टोडारायसिंह के उक्त निर्णय के विरूद्ध वर्तमान अपीलांट द्वारा ए0डी0एम न्यायालय टोंक में प्रकरण संख्या 7/2020 के द्वारा एल0आर0एक्ट की धारा 75 के तहत प्रथम अपील दर्ज करवायी। उक्त अपील में सुनवाई करने के बाद ए0डी0एम न्यायालय ने अधीनस्थ न्यायालय निर्णय दिनांक 12.03.2020 को यथावत रखते हुए दिनांक 29.10.2020 को अपीलांट द्वारा प्रस्तुत स्थगन प्रार्थना पत्र खारिज कर दिया। इससे रूष्ट होकर उक्त अपील निम्न आधारों पर प्रस्तुत की गई है—

1. तहसीलदार टोडारायसिंह द्वारा प्रार्थी को सुनवाई का समुच्चित अवसर प्रदान नहीं किया।

2. विवादित भूमि पर उसके पिता छोटू के समय से विगत 70 वर्षों से काबिज है तथा दिनांक 28.06.1963 जिला कलक्टर टोंक द्वारा भी उक्त भूमि पर काबिज व्यक्तियों को गैर खातेदार दर्ज करने के आदेश दिये थे। तत्समय तहसीलदार द्वारा

Signature Not Verified
Digitally signed by Gajendra Singh Rathore
Date: 2023.01.09 16:43:09 IST
Reason: SelfAttested

भी इस बाबत अनुशंषा की गई थी। अंत में दोनों अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय दिनांक 12.03.2020 एवं 29.03.2020 को निरस्त करने हेतु चाराजोई की गई है।

उक्त अपील के साथ अपीलांट द्वारा स्थगन प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया है। जिसमे उसने कहा है कि यदि उसे आराजीयात से बेदखल कर दिया जायेगा तथा गिरफतार कर लिया जायेगा तो उसे अपूरणीय, सामाजिक,आर्थिक व मानसिक क्षति होगी तथा प्रथम दृष्टया प्रकरण एवं सुविधा का संतुलन भी प्रार्थी के पक्ष में हैं। अतः अपीलाधीन आदेश की पालना एवं प्रभाव तथा सिविल कारावास की सजा को अपील निस्तारण तक स्थगित रखा जायें तथा मौके की यथास्थिति बनायी रखी जाने का आदेश प्रदान किया जायें।

अपील न्यायालय के क्षेत्राधिकार में होने से दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पो0 की तलबी हेतु नोटिसेज जारी किये गये। रिकोर्ड तलब किया जाकर प्राप्त किया गया। बहस उभयपक्ष सुनी गई।

सर्वप्रथम अपील के मियाद अवधि में होने बाबत अवलोकन किया गया। अपीलाधीन आदेश दिनांक 29.10.2020 का है जबकि न्यायालय हाजा में अपील दिनांक 08.12.2020 को दर्ज होना पायी जाती है। अतः अपील को अंदर मियाद शुमार किया जाता है।

बहस में प्रार्थी वकील ने बताया कि तत्कालीन जिला कलक्टर द्वारा दिनांक 28.02.1963 को चरागाह भूमि से सैट–ए–पार्ट करते हुए विवादित भूमि को गैर खातेदारी में दर्ज करने का आदेश दिया गया। कुल 34 काश्तकार काबिज थे तथा 200 बीघा भूमि थी। मगर राजस्व कर्मचारियों द्वारा आदेश का अंकन नहीं कर भूमि को सिवायचक किया। भूमि पर हमारा कब्जा है। नियमन के पात्र है तथा दिनांक 28.02.1963 का आदेश अभी भी अस्तित्व में है। हम 91 के नोटिस के खिलाफ तथा बेदखली और सजा के खिलाफ आये है। तथा तहसीलदार केस दर्ज कराने हेतु सक्षम नहीं हैं। अपील स्वीकार की जायें। राजकीय अभि0 ने बहस में बताया कि प्रार्थी के द्वारा काउण्टर सूट नहीं किया गया है। उनको दावा करना चाहिए था। पत्रावली पर प्रस्तुत दस्तावेज फोटोकॉफी के रूप में है तथा 91 की कार्यवाही एक स्वतंत्र कार्यवाही है। पत्रावली पर प्रस्तुत अपीलाधीन आदेश दिनांक 29.10.2020 एवं दिनांक 12.03.2020 का अवलोकन किया गया। ए0डी0एम न्यायालय की पत्रावली पर प्रस्तुत 91 की कार्यवाही से संबंधित दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। तहसीलदार न्यायालय टोडारायसिंह में प्रार्थी के विरूद्ध 331/20 नम्बर से प्रकरण दर्ज किया गया था। उक्त पत्रावली की ऑर्डरशीट का अवलोकन किया गया। दिनांक 15.01.2020 को नोटिस दिया जाना बताया। दिनांक 13.02.2020 को अतिक्रमी के अनुपस्थित रहने पर पुनः नोटिस जारी करने का निर्देश दिया हुआ है तथा दिनांक 12.03.2020 को बाद तामील अतिक्रमी के अनुपस्थित रहने पर उसके विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही कर एक माह की सिविल कारावास की सजा एवं उसे दण्डित करने एवं निर्णय को पृथक से लिखने को निर्देशित किया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Gajendra Singh Rathore
Date: 2023.01.09 16:43:09 IST
Reason: SelfAttested

धारा 91 के तहत उक्त पत्रावली में प्रथम नोटिस संवत 2076 हेतु अपीलांट द्वारा खसरा नम्बर 307 रकबा 1.0 हे0 ग्राम गोलाहेड़ा के लिए नोटिस जारी कर निर्देश दिया था कि दिनांक 13.02.2020 से पूर्व विवादित भूमि को खाली करें तथा दिनांक 13.02.2020 को उपस्थित होने हेतु निर्देशित किया था। उक्त नोटिस दिनांक 23.01.2020 को जारी किया गया। उक्त नोटिस की पुश्त पर राशि और कंचन गुर्जर नाम से अंकन मौजूद है। अन्य नोटिस इसी वाद भूमि हेतु दिनांक 14.02.2020 को इसी भूमि हेतु जारी किया जाना पाया जाता है। उक्त नोटिस के पुश्त पर भी घासी अंकित किया हुआ पाया जाता है। अतः अपीलांट की इस बात में दम नहीं है कि उन्हें सुनवाई का अवसर नहीं दिया गया। दिनांक 12.03.2020 को बावजूद तामील उपस्थित नहीं होने पर एकपक्षीय कार्यवाही करते हुए तहसीलदार द्वारा अपीलाधीन आदेश जारी किया गया। पटवारी रिपोर्ट 331/20 में यह अंकित है कि अपीलांट द्वारा संवत 2076 में विवादित भूमि पर 1.01 हे0 भूमि में चने की काश्त की गई। तहसीलदार के निर्णय के बाद उक्त फसल को पटवारी द्वारा कब्जे में लिया गया था तथा फसल निलामी भी बाद में दिनांक 29.05.2020 को अपीलांट द्वारा 1000 रूपये की बोली लगाकर स्वयं ने छुड़वायी थी। इसी पत्रावली के साथ एक अन्य मिशल नम्बर 773/19 के निर्णय दिनांक 16.09.2019 के अनुसार संवत 2076 में ही इसी विवादित भूमि पर अपीलांट द्वारा अतिक्रमण किया हुआ था। जिसे पैनल्टी लगाने के बाद बेदखल किया गया। इस समय उसके द्वारा ज्वार की फसल ली गई थी। तहसीलदार के निर्णय दिनांक 12.03.2020 का अवलोकन किया। उनके द्वारा पश्चातवृति अतिक्रमी मानते हुए सही रूप से न्याय संगत आदेश जारी किया गया था। जिसे अतिरिक्त जिला कलक्टर द्वारा भी बहाल रखा गया।

अपीलांट के अनुसार दिनांक 28.02.1963 को जिलाधीश टोंक द्वारा विवादित भूमि पर काबिज गैर खातेदार दर्ज करने के आदेश दिये गये थे। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात फोटोकॉफी के रूप है। जिसे साक्ष्य में ग्रहण नहीं किया जा सकता है। विवादित भूमि किस्म चरागाह भूमि थी। अपीलांट द्वारा जिला कलक्टर टोंक का कोई आदेश पत्रावली पर प्रस्तुत नहीं किया गया है। जो दस्तावेज दिया है वह आदेश नहीं है। अपितु अनुमोदन के लिए प्राप्त था तथा छोटू पुत्र घासीराम गुर्जर के नाम के सामने चरागाह का कुल रकबा 1 बीघा ही अंकित किया हुआ है। जबकि वर्तमान में अतिक्रमी के रूप में उसके द्वारा काफी अधिक क्षेत्रफल पर कब्जा किया हुआ है। विवादित भूमि चरागाह भूमि होने से राजस्थान टिनैन्सी एक्ट 16 के तहत प्रतिबंधित भूमियों की श्रेणी में आती है। जिसका आवंटन नही किया जा सकता है। वर्तमान में भी उक्त भूमि चरागाह भूमि के रूप में ही है। न्यायालय का यह मानना है कि अपीलांट को वाद के माध्यम से चाराजोई करनी चाहिए थी। जो उसके द्वारा नहीं किया गया। भूमि का नियमन एक पृथक प्रशासनिक कार्यवाही है। वर्तमान प्रकरण ए0डी0एम न्यायालय के निर्णय के विरूद्ध प्रस्तुत हुई है। जिसमें विवेचन के बाद न्यायालय का यह मानना है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा सही रूप से निर्णय किया गया। जिसमें किसी हस्तक्षेप की कोई आवश्यकता नहीं है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Gajendra Singh Rathore
Date: 2023.01.09 16:43:09 IST
Reason: SelfAttested

अपीलांट द्वारा प्रस्तुत स्थगन प्रार्थना पत्र खारिज योग्य है। अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय में हस्तक्षेप की कोई आवश्यकता नहीं है।

क्रियात्मक आदेश

अपील अपीलांट खारिज की जाती है। अपीलाधीन आदेश दिनांक 29.10.2020 प्रकरण संख्या 7/2020(घासी बनाम तहसीलदार टोडारायसिंह) को यथावत रखा जाता है। उक्त निर्णय में हस्तक्षेप की कोई आवश्यकता नहीं है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हों।

यह आदेश आज दिनांक 30.09.2022 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(गजेन्द्र सिंह राठौड़)
अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
अजमेर

Signature Not Verified

Digitally signed by Gajendra Singh Rathore
Date: 2023.01.09 16:43:09 IST
Reason: SelfAttested